इक्कीसवीं सदी की ओर महिलाओं के बढ़ते क़दम

सुहास कुमार

साक्षरता आंदोलन चाहे महिलाओं को पूर्ण साक्षर बनाने में सफल न हुए हों पर गांव की महिलाओं को घर की चार-दीवारी से बाहर निकालने में अवश्य सफल हुए हैं। उनमें एक नई चेतना व जागरूकता आई है। यही नहीं, हर स्तर पर यह महसूस किया जा रहा है कि महिलाओं के आगे बढ़े बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। 1993 में हुए पंचायती राज एक्ट के 73वें व 74वें संशोधन में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण दिया जाना इसका स्पष्ट उदाहरण है।

गांववाले कहते हैं, "पुरुषों को तो कई सालों से देख रहे हैं। अब महिलाएं आगे आई हैं तो गांव की उन्नति में अपना जौहर दिखाएंगी ही। मौका हाथ लगेगा तब ही तो कोई करिश्मा दिखाएगा।"

महिलाएं अपनी मर्ज़ी से चार-दीवारी के भीतर सिमट कर नहीं रही हैं। अभी हाल में हुए कुछ राज्यों के पंचायती चुनावों में महिलाओं में जो उत्साह व भागीदारी देखने में आई, उससे साफ़ ज़ाहिर है कि वे जीवन के हर क्षेत्र में हिस्सा लेना चाहती हैं।

एक झलक

राजस्थान में 41 हज़ार महिलाएं चुनाव जीत कर पंच तथा सरपंच बनी हैं। इनमें से कई ऐसी महिलाएं हैं जो पर्दे के बिना बाहर नहीं निकलती थीं। कुछ महिलाओं ने बीच का रास्ता अपनाया। गांव में तो पर्दा रखा पर बाहर जाकर घूंघट खोल दिया। चुनाव के दौरान उन्होंने भाषण भी दिए। अधिकतर गांवों में उत्सव जैसा माहौल रहा।

अभी तो ज्यादातर उन महिलाओं को अवसर मिल पा रहा है जो पंचों की बीवियां या बहुएं हैं, या जिनके रिश्तेदार राजनीति के और क्षेत्रों में सक्रिय हैं। राजनैतिक पार्टियों की भी बेहद घुसपैठ है। फिर भी कई महिलाएं अपने बलबूते पर चुनाव जीती हैं।

उत्तर प्रदेश में चुनाव-प्रक्रिया चल रही है। यहां भी महिलाएं बहुत उत्साहित हैं। गांव की महिलाओं का कहना है कि "हमें आसानी से आगे बढ़ना नहीं मिलेगा। यह हम अच्छी तरह जानती हैं।" कई जगह महिलाएं अपना चुनाव अभियान स्वयं चला रही हैं। अलीगढ़ ज़िले में कई जगह महिलाएं भरी जीपों में घूमती दिखीं, जहां पुरुषों के

नाम पर केवल वाहन-चालक थे। मतदाताओं में भी बेहद जोश व उत्साह देखा गया। तैयार फसल कटने का समय होते हुए भी 80 से 85 फीसदी मतदान हुआ।

जून '93 तक उत्तर प्रदेश में 74000 ग्राम सभाओं में केवल 930 महिला सरपंच थीं। अभी के चल रहे चुनावों का नतीजा आना बाकी है। जो भी हो एक-तिहाई महिला पंचों और सरपंचों के आने से बदलाव अवश्य ही आएगा। बहुत बड़ी संख्या में स्वतंत्र रूप से चुनाव जीतने में समय लग सकता है।

सत्ता से चिपके पुरुष

असली बात तो यह है कि सत्ताधारी आसानी से अपनी ताक़त व कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। यह बात राजनैतिक दल के नेताओं से लेकर परिवार के मुखियाओं तक, सभी के केस में पूरी तरह लागू होती है। यह दलील बहुत गलत है कि अनपढ़ महिलाएं पंच अथवा सरपंच का पद नहीं संभाल सकतीं। सूझबूझ व सबका हित देखने के लिए पढ़ा-लिखा होना जरूरी नहीं है। बहुत विरोधों के बावजूद महिलाओं ने ज़मीन, वन, जल, स्वास्थ्य व सफाई सुविधाओं के लिए अभियान चलाए हैं। यही नहीं, शराब-विरोधी आंदोलन भी चलाए हैं। अब पंचायत में उन्हें एक अधिकार का पद मिलेगा तो वे सफलतापूर्वक कई क्षेत्रों में काम कर सकती हैं।

महिलाओं को पंचायत समिति ठीक से चलाने के लिए प्रशिक्षण व प्राथमिक शिक्षा दी जानी कोई कठिन काम नहीं है। इसकी ज़रूरत से इंकार न करते हुए भी बिना संदेह यह कहा जा सकता है कि महिलाओं के पंचायत में आने से स्थानीय प्रशासन ज्यादा अच्छी तरह चलेगा। ज्यादा संतुलित ढंग से चलेगा। यह बात कई सर्वेक्षणों से भी निकलकर आई है कि महिला पूरे परिवार के हित का सोचती है, जब कि अक्सर पुरुष केवल अपने हितों को ध्यान में रखते हैं।

असल में तो प्रशासन का मानस बदलना बहुत ज़रूरी है। पंचायत राज की असफलता का कारण महिलाओं का अनपढ़ होना नहीं बल्कि स्वार्थी तत्वों की घुसपैठ होगा। राजनैतिक दलों के हस्तक्षेप से भी रुकावटें आने का अंदेशा है।

सुनहरा मौका खोएं नहीं

1993 में संविधान के 73 वें व 74 वें संशोधन को इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में देखा जाएगा। महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देकर उन्हें आगे बढ़ने का एक अच्छा अवसर मिला है। इसका उपयोग वे कितना कर पाएंगी यह काफी हद तक उनकी समझ व सूझबूझ पर निर्भर करता है।

महिला पंचों तथा सभी महिलाओं को यह समझना है कि देश में स्वतंत्र लोकतंत्र बनाए रखने के लिए राजकाज में उनकी भागीदारी ज़रूरी है। कई दबावों व रुकावटों के बीच काम करते हुए स्वतंत्र फैसले लेने होंगे। आज उनके कंधों पर एक बड़ी ज़िम्मेदारी आई है। घूंघट की आड़ से यह कहने से काम नहीं चलेगा "वे जानें"। उसकी अपनी खुशहाली व पूरे गांव की खुशहाली का दारोमदार इसी पर है। □